# न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर
## पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
## राजस्व वाद संख्या : 131/18 (वाद)
## GCMS No. : 2018/00088

**अनवान**

1. श्री शंकर पिता नवला जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

............वादी

**बनाम्**

1. श्रीमती मोतीबाई पत्नी काशीराम जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्रीमती लेहरीबाई पत्नी धनराज जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
3. श्री जगदीश पिता उंकार जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
4. श्री हरीराम पिता उंकार जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
5. श्री छगन पिता उंकार जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
6. श्रीमती देउ पत्नी उंकार जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
7. श्री जीतमल पिता लक्ष्मण जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
8. श्री काशीराम पिता टेका जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली। ड्रोप
9. श्री धनराज पिता टेका जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

**उपस्थित–1.** श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता वादी।

## वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
## निर्णय

**दिनांक : 20.01.2025**

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चायलो का खेडा पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की आराजी नम्बर 5180, 5181, 5182, 5183, 5184 किता 5 कुल रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा उपरोक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादी के नाम स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात का मैं वादी खातेदार काश्तकार हूं जिस पर मैं वादी अपने परिवारजन सहित काबिज होकर निरन्तर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहा हूं उक्त वर्णित जमीन में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण जो सभी एक ही परिवार के सदस्य होकर नाजायज रूप से मुझ वादी की जमीन को हडपने की नियत से मेरे खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:51 IST
Reason: SelfAttested

एवं कब्जे की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है और मुझ वादी को अपने खातेदारी व कब्जे की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है और मेरे खातेदारी व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में भी बाधा उत्पन्न कर रहे है और नुकसान पहुंचा रहे है जबकि प्रतिवादीगण का उक्त वर्णित कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं। मुझ वादी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात मुझ वादी के खाते व कब्जे की है जिस पर मैं वादी अपने परिवार सहित बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज हो काश्त कर रहा हूं जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से मुझ वादी को उक्त जमीन से बेदखल करने पर आमादा है और मुझ वादी की खातेदारी व कब्जे की कृषि भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हो रहे है और कृषि कार्य करने में व्यवधान पैदा कर रहे है और नुकसान पहुंचा रहे है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमियों का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयो पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में हैं।

3. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 10.06.2018 को उत्पन्न हआ जब प्रतिवादीगण ने मुझ वादी के कब्जे व खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की तथा मना करने पर मरने मारने पर उतारू हुए। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:51 IST
Reason: SelfAttested

4. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहूंचावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण मुझ वादी के खाते व कब्जे की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेवे अथवा पाया जावे तो पुनः कब्जा मुझ वादी को दिलाया जाकर वाद दायरी दिनांक की स्थिति रखाई जावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 3 से 5, 9 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात के पास में प्रतिवादीगणों की आराजीयात स्थित है तथा वादी प्रतिवादीगणों की आराजीयात को हडपना चाहता है तथा प्रतिवादीगणों की आराजीयात वादी की आराजीयात के बाद में होने से प्रतिवादी संख्या 2 लेहरीबाई व प्रतिवादी संख्या 7 जीतमल ने अपनी आराजीयात में आने जाने के लिए वादी के खातेदारी की आराजी नम्बर 5184, 5183 व 5182 से रास्ता कायम करने हेतु आप न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत कथित वाद से पूर्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें वादी की तामील हो चुकी है तथा उक्त प्रार्थना पत्र की जानकारी वादी को होते हुए वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र से बचने के लिए कथित वाद गलत आधारो पर प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्त होने योग्य है क्योंकि प्रतिवादीगण ने तो कभी वादी के आराजीयात में प्रवेश किया, न ही वादी की आराजीयात के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न की प्रतिवादीगण रास्ते की जो भूमि है जिसका उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में करते चले आ रहे है केवल मात्र वादी प्रतिवादीगणों को रास्ता नहीं देना चाहता है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण त्वरीत नहीं हो इस आशय से कथित वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जाना आवश्यक हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:51 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि वादी की आराजीयात में जो रास्ता है उसका उपयोग उपभोग आज भी प्रतिवादीगण कर रहे है ऐसी अवस्था में वादी रास्ते की भूमि को मिलाते हुए सम्पूर्ण आराजीयात पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहता है जो गलत है क्योंकि प्रतिवादीगणों द्वारा रास्ते की भूमि का जो उपयोग उपभोग प्रतिवादीगणों द्वारा ही किया जा रहा है जब रास्ते की भूमि पर वादी का कोई कब्जा ही नहीं है जब वादी का कब्जा ही नहीं है तो बिना कब्जे के कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इस तरह वादी का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है तो वादी के पक्ष में सुविधा व संतुलन के होने का प्रश्न ही नहीं उठता है यदि प्रतिवादीगणों द्वारा उपयोग उपभोग की जा रही रास्ते की भूमि को मिलाते हुए वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो प्रतिवादीगणों को काफी नुकसान व क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नकदी में किया जाना संभव नहीं है ऐसी अवस्था में न तो वादी का प्राइमाफैसी केस है, न ही सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में है जब स्थाई निषेधाज्ञ के लिए तीनो ही बिन्दु वादी के पक्ष में नहीं है तो स्थाई निषेधाज्ञा का वाद निरस्त होने योग्य है। इसलिए वादी प्रतिवादीगणों के विरूद्व स्थाई निषेधज्ञा जारी करने का अधिकारी नहीं हैं। वाद कारण विरूद्व प्रतिवादीगण दिनांक 10.06.2018 को कभी उत्पन्न नहीं हुआ वादी ने केवल मात्र वाद को बनाने के लिए वाद कारण अंकित किया हैं। अन्त में निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद में चाही गई दाद वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इसलिए वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे व वादी से प्रतिवादीगणों को विशेष हर्जे खर्चे के 51 हजार रूपये दिलाये जाने का आदेश बक्षाया जावें।

7. प्रतिवादी संख्या 2 व 7 द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण वादी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा नहीं हो रहे है और न ही वादी को बेदखल करने पर आमादा है और न ही वादी को नुकसान पहुंचा रहे है बल्कि वास्तविकता यह है कि हम प्रतिवादीगण की कृषि भूमिया वादी की कृषि भूमियों के आगे स्थित है और हम प्रतिवादीगण की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए वादी की उक्त वर्णित भूमि में रास्ता बना हुआ है जिससे होकर हम प्रतिवादीगण अपनी कृषि भूमियों पर सदीप से आते जाते रहे है और हम प्रतिवादीगण ने अपनी कृषि भूमि पर आवागमन करने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:51 IST
Reason: SelfAttested

वादी की आराजी नम्बर 5184, 5183, 5182 में रास्ता कायम कराने बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय मावली में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रखा है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 11.07.2019 को नियत होकर न्यायालय में विचाराधीन है। हम प्रतिवादीगण को वादी उसकी कृषि भूमि में स्थित रास्ते से आवागमन करने से रोकने के लिए हम प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता बाबत् न्यायालय आपमें प्रस्तुत किये गये मामले की कार्यवाही से बचने की गरज से मनगढन्त, मिथ्या एवं कपोल कल्पित आधारो पर हस्तगत प्रकरण न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर दिया जिससे कि हम प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये मामले में विलम्ब होता रहे और हम प्रतिवादीगण को शीघ्र न्याय की प्राप्ति नहीं हो सके और वादी हम प्रतिवादीगण पर नाजायज दबाव बनाकर मनमाफिक ढंग से रूपया ऐंठ सके। इस तरह वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण पूर्णतया गलत, मनगढन्त, मिथ्या एवं कपोल कल्पित तथ्यों पर आधारित होकर वादी को इसमें कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और वादी का हस्तगत प्रकरण अन्ततः सव्यय खारिज होगा। ऐसी अवस्था में वादी हम प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है और न ही उसकी जमीन में स्थित रास्ते से हम प्रतिवादीगण एवं अन्य सहखातेदारान को अपनी–अपनी जमीनों में आवागमन करने से रोकने का अधिकारी हैं।

8. यह कि वादी का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है और न ही सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में है क्योंकि हम प्रतिवादीगण ने वादी की कृषि भूमि में कभी भी कोई दखलन्दाजी या व्यवधान पैदा नहीं किया है और न ही वादी की जमीन को हडपना चाह रहे है बल्कि वादी इस मिथ्या मुकदमें की आड लेकर वादी की उक्त वर्णित कृषि भूमि में सदीप से बने हुए रास्ते के उपयोग उपभोग से हम प्रतिवादीगण एवं अन्य सहखातेदारान को नाजायज तरीके से वंचित करना चाहता है इसी गरज से इस तरह के उल जलुल कथन कर यह मिथ्या मुकदमा माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर दिया है। इसके अलावा वादी इस मुकदमें की आड लेकर हम प्रतिवादीगण की ओर से रास्ते बाबत प्रस्तुत किये गये मामले की कार्यवाही को निरन्तर लम्बित कर रहा है और वादी हम प्रतिवादीगण को सदीप से आवागमन [illegible] बने रास्ते के उपयोग उपभोग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:51 IST
Reason: SelfAttested

रोक कर निरन्तर नुकसान पहुंचा रहा है और हम प्रतिवादीगण को आर्थिक रूप से क्षति कर रहा है जिससे हम प्रतिवादीगण एवं अन्य सहखातेदारान भारी मानसिक पीडा भोग रहे है। वादी रास्ते के अलावा उसकी कृषि भूमियों को निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता आ रहा है जिसमें हम प्रतिवादीगण न तो पहले कभी दखलन्दाजी की गई है और न ही वर्तमान में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। ऐसी अवस्था में वादी हम प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है। यदि हम प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वादी इसकी आड लेकर हम प्रतिवादीगण को उक्त रास्ते से होकर हमारी जमीनो तक पहूंचने में रूकावट पैदा करेगा जिससे हम प्रतिवादीगण के जायज हक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होगा। इस तरह स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से हम प्रतिवादीगण को भारी अतुलनीय क्षति एवं हानि होगी जबकि इसके विपरीत स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से वादी को न तो कोई क्षति होगी और न ही कोई असुविधा होगी। वादी को हम प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई वाद कारण दिनांक 10.06.2018 को पैदा नहीं हुआ है। वादी ने मात्र मिथ्या वाद पेश करने की नियत से झुठा एवं मनगढन्त वाद कारण अंकन कर वाद पेश किया है जो अन्ततः सव्यय खारिज होगा। वादी हम प्रतिवादीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

9. प्रकरण में न्याय निर्णय हेतु तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त भूमि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जा करने पर उतारू हैं। अतः वादी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। .................. जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि की आराजी नम्बर 5184, 5183, व 5182 में रास्ता कायम होने से प्रतिवादीगण उक्त रास्ते का प्रयोग कृषि भूमि में आवागमन के लिए करते है, जिसके लिए माननीय न्यायालय में धारा 251 ए के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:51 IST
Reason: SelfAttested

वाद दायर किया गया है। वादी द्वारा जानबुझकर गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जिसके तहत वादी 251 ए के प्रकरण के निस्तारण तक कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

10. साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी स्वयं शंकर पिता नवला का प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7, 9 एवं स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 7 से 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई। प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके है।

11. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा चायलो का खेड़ा पटवार हल्का ईण्टाली तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता सं. 390 पर दर्ज आराजी नम्बर 5180, 5181, 5182, 5183, 5184 किता 5 कुल रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी के नाम तन्हा खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नही है। वादी का मुख्य रूप से कथन है कि प्रतिवादीगण हमारी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से हमारे को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। न्यायालय का विनम्रता पूर्वक अभिमत है कि वादी वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादी की खातेदारी भूमि से वादी को प्रतिवादीगण जबरन बेदखल कर देते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया तत्पश्चात न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए जा चुके है। अतः तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

**—: : आदेश : :—**

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा चायलो का खेड़ा पटवार हल्का ईण्टाली तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 के खाता सं. 390 पर दर्ज आराजी नम्बर 5180, 5181, 5182, 5183, 5184 किता 5 कुल रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा भूमि में वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**
**सहायक कलक्टर**
**(FT) मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:51 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर**

**बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.**

## राजस्व वाद संख्या : 131/18 (वाद)

## GCMS No. : 2018/00088

उनवान्

1. श्री शंकर पिता नवला जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

.....वादी

**बनाम्**

1. श्रीमती मोतीबाई पत्नी काशीराम जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्रीमती लेहरीबाई पत्नी धनराज जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
3. श्री जगदीश पिता उंकार जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
4. श्री हरीराम पिता उंकार जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
5. श्री छगन पिता उंकार जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
6. श्रीमती देउ पत्नी उंकार जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
7. श्री जीतमल पिता लक्ष्मण जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
8. श्री काशीराम पिता टेका जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली। ड्रोप
9. श्री धनराज पिता टेका जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा चायलो का खेड़ा पटवार हल्का ईण्टाली तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता सं. 390 पर दर्ज आराजी नम्बर 5180, 5181, 5182, 5183, 5184 किता 5 कुल रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा भूमि में वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.01.2025 को जारी की गई।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**
**सहायक कलक्टर**
**(FT) मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:32:51 IST
Reason: SelfAttested